"That the Bill be passed."

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

15.12 hrs.

STATUTORY RESOLUTION RE DISAPPROVAL OF THE TRUST LAWS (AMENDMENT) ORDINANCE, 1975 AND TRUST LAWS (AMENDMENT) BILL

MR DEPUTY-SPEAKER The House will now take up the Statutory Resolution by Shri Laxminarayan Pandeya and the Bill by Shri C Subramaniam further to amend the Indian Trusts Act, 1882 and the Unit Trust of India Act, 1963 Both the Resolution and the Bill will be taken up together

डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय (मन्दसोर): उपाध्यक्ष महोदय, मै राष्ट्रपति द्वारा 7 जनवरी, 1975 को प्रख्यापित न्यास विधि (सशोधन) अध्यादेश 1975 (1975 का अध्यादेश सख्या 1) का निरामोदन करने का सकल्प प्रस्तुत करता हू ।

इस अध्यादेश का जारी करते समय मंत्री महोदय द्वारा उन परिस्थितियो का उल्लेख किया गया है जिन के कारण इस अध्यादेश को जनवरी मे ही सरकार को निकालना पडा । सरकार की तरफ से जो कारण इस के बारे मे बताए गए उन मे यह कहा गया कि चूकि यूनिट ट्रस्ट पर पिछले कुछ प्रभावी उपाय या वित्तीय प्रतिबन्ध मुद्रा प्रसार की रोक हेतु जो लगाए थे उन के कारण उस के कार्यों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड रहा था ऐसी दशा में यह आवश्यक था कि यूनिट ट्रस्ट पर उसकी यूनिट की बिक्री के ऊपर कोई विपरीत प्रभाव न पडे, उस की बिक्री यथावत होती रहे, उस मे से जो धन निकालने का क्रम जारी हुआ है वह क्रम उसी प्रकार से जारी न रहे, इन सभी कारणो को लेकर इस प्रकार का अध्यादेश यहा पर उपस्थित करना पडा ।

पिछले साल जुलाई मे ही कुछ इस प्रकार के पग उठाये गए सरकार की तरफ से डिविडेड्स पर प्रतिबन्ध के बारे मे और अन्य उपायो के बारे मे तो यह कहा गया था कि यनिट ट्रस्ट के कार्यकलापो के ऊपर किसी प्रकार का कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा जैसा कि 21 जुलाई, 1974 की एक मीटिंग के अन्दर यूनिट ट्रस्ट के चेयरमैन ने बताया

'Mr. James Raj, Chairman of the Unit Trust of India told a meeting of its agents on Saturady that though the latest curb on ordinary shares would affect adversely income from a part of its portfolio, its overall impact would be marginal. He made it clear that since the current worth (value) of the share is about Rs 12, the Unit Trust would not mind buying back some units at the price of Rs 10 50 in somebody wanted it that way"

यह समाचार के रूप मे फ्री प्रेस जर्नल मे 21 जुलाई, 1974 को छपा भी था ।

पहले तो उन्होने कहा कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का कोई असर नही पडेगा लेकिन जब उस का असर पडने लगा और उस का विपरीत प्रभाव पडने लगा, यूनिट-ट्रस्ट से भारी मात्रा मे पैसा निकाला जाने लगा, यहा तक कि उस को भारी जमा वापस होने लगी, उस के भारी मात्रा मे यूनिटस वापस होने लगे तो उन को एक चिन्ता पडी और सरकार को भी इस के बारे मे सोचना पडा कि इस को रोकने

[डा० लक्ष्मी नारायण पांडे]

के लिए कोई कदम उठाया जाय और सरकार को लाचार हो कर इस प्रकार का कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ा। यद्यपि 7 जनवरी, को इस प्रकार का अध्यादेश सरकार की तरफ से जारी किया गया लेकिन इस पर सरकार पहले ही विचार कर चुकी थी कि इस प्रकार का कदम उठाना चाहिए। इंडियन एक्सप्रेस की एक न्यूज के अनुसार यह बताया गया कि जो टैक्स फ्री लिमिट यूनिट ट्रस्ट के ऊपर सरकार ने निर्धारित की थी उस के ऊपर वह इन्क्रीज करने जा रहे है। यह न्यूज आइटम 3 जनवरी, 1975 के इंडियन एक्सप्रेस मे दी थी जिस के अनुसार सरकार पहले ही इस बात का निर्धारण कर चुकी थी। केवल इतना ही नहीं इस के पहले दिसम्बर मे ही सरकार ने इस बात के संकेत दिए थे कि हो सकता है यूनिट ट्रस्ट के कार्यो के ऊपर चूंकि विपरीत प्रभाव पड रहा है इसलिए शायद हमे इस तरह का कदम उठाना पडे और इनकम टैक्स की लिमिट के ऊपर या दूसरे टैक्सों की लिमिट के ऊपर हम ने जो छूट दे रखी है उस को शायद बढ़ाना पड़े। इंडियन एक्सप्रेस म जो न्यूज निकली उस म यह बताया गया कि:

"An income of Rs 2000 a year by way of interest on deposit with the U.T.I. will now be exempt from income Tax. The decision is understood to have taken by the Union Cabinet here today."

यह समाचार इंडियन एक्सप्रेस का है। यह 3 जनवरी को न्यूज निकली थी। उस के बाद ही सरकार ने तत्काल इस प्रकार का अध्यादेश निकाला। इसका अर्थ यह है कि जो सरकार की तरफ से या यूनिट ट्रस्ट की तरफ से हमेशा कहा जाता रहा कि इस का किसी प्रकार का हमारे डिविडेंड इत्यादि पर या लाभांशों पर जो सरकार ने प्रतिबन्ध लगाया या लाभांश पर प्रतिबन्ध के कारण किसी प्रकार का विपरीत असर नही पड़ेगा लेकिन यूनिट ट्रस्ट के कार्य कलापो पर उस का असर पड़ा। पिछली जुलाई से ले कर दिसम्बर तक के आंकड़ो के अनुसार लगभग 14 करोड़ रुपये के यूनिट्स वापस आ कर लोगो ने भुनाए और सरकार ने जो यूनिट्स बेचे थे, लगभग 10 करोड़ के यूनिट सरकार ने बेचे इस के अनुसार चार करोड की हानि तो सरकार को प्रत्यक्ष दिखाई पड़ती है किन्तु उस के बाद भी चैयरमैन ने कहा कि हमे कोई हानि नहीं है और कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नही है। भले ही हम क्राइसिस की बात को दबाये लेकिन फाइनेंशियल क्राइसिस है इस बात को सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है। जो कारण बताए उन कारणो के अन्दर सरकार ने कहा कि हमारी जो बिक्री है उस के अनुसार जुलाई से ले कर नवम्बर 1974 तक की अवधि मे 9.6 करोड रुपये के यूनिट बिके थे जब कि पिछले वर्ष इसी अवधि मे 21.80 करोड यूनिट्स बिके थे। इस प्रकार सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि यूनिट्स की बिक्री के ऊपर विपरीत असर पड़ा है। लेकिन चैयरमैन इस बात को स्वीकार नहीं करते है जब कि इसी बारे में अध्यादेश और यह विधेयक यहा पर लाया गया।

मै एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार यह कहती है कि लाभांश पर प्रतिबन्ध का शेयर बाजार पर असर पड़ा है और शेयर बाजारो की स्थिरता के लिए यह कदम जरूरी है किन्तु शेयर बाजार आज भी नीचे जा रहा है। केवल यह कदम उठाने से कि सरकार यूनिट ट्रस्ट के ऊपर किसी प्रकार की लिमिट बढ़ा कर के या इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा कर के या वैल्थ टैक्स की लिमिट बढ़ा कर के उस को रोकना चाहे तो वह कोई प्रभावी कदम नही माना जा सकता है और वह इस से रुकेगा भी नहीं। शेयरों पर जो असर पड़ा है वह बाजार की दूसरी वित्तीय गतिविधियों का पड़ा है। बैंकों ने जो ऋण की

मर्यादाए निर्धारित की है या जो ब्याज की सीमा बढ़ाई है और साथ दूसरे उपायों के कारण हमारे यहा पर जिस प्रकार से कुछ चीजों की कीमते गिरी है या कुछ चीजो की कीमते स्थिर हुई है या कुछ चीजो की कीमते ज्यादा हुई है जो मार्केट की स्थिति है उस के अनुसार भी मैं समझता हू कि काफी असर हो सकता है केवल एक कदम उठाने से यूनिट ट्रस्ट के उपर असर पडा हो सही नही है। लाभाश के प्रतिबन्ध के बाद मे भी दूसरी बाते देखनी होगी अब हमे ट्रस्ट को हालत सुधारने के लिए आय कर का मार्जिन बढा कर या जैसा आप ने कहा है कि 2 हजार की और अतिरिक्त सीमा हम बाधना चाहते है और दूसरी तरफ 25 हजार की अतिरिक्त सीमा और दी है जो आज की सीमा वर्त्तमान मे डेढ लाख की और दूसरी तरफ 3 हजार की वर्त्तमान सीमा है तो मैं समझता हू कि इन सीमाओं के आधार पर भी आपने कोई बहुत बडा लाभ उन को नही दिया है। वर्त्तमान मे यनिट ट्रस्ट जो डिविडेड दे रहा है वह 8 5 प्रतिशत है आपने कहा है कि इस का भी उस के उपर कोई असर नही पडने वाला है। यहा पर आप ने यह भी निश्चित रूप से नही कहा है कि जितना लाभाश देते हैं उससे बढाकर डिविडेंड देगे। इस प्रकार का कोई निश्चित मत या निश्चित बात सरकार द्वारा इस मे नही बताई गई है। इसीलिए मेरा यह कहना है कि जो कुछ भी बात आप इस आर्डिनेन्स के जरिये लाना चाहते थे, वह आप को पहले से स्पष्ट थी, हकीकत सामने थी और जिस समय आप ने लाभाश पर प्रतिबन्ध लगाया था उसी समय अनेको माननीय सदस्यो द्वारा यह स्पष्ट रूप से बतलाया गया था कि लाभाश पर प्रतिबन्ध लगा कर बाजार मे इन्फलेशन को रोकने मे आप समर्थ नही हो सकेगे। लेकिन सरकार ने कहा था कि ऐसे कामो से निश्चित ही हमे इस प्रकार का लाभ होगा।

मैं माननीय मत्री जी से यह भी निवेदन करना चाहता हू—आप ने तत्काल कानून बनाने की परिस्थितियो का उल्लेख करते हुए कहा है—

> "कम्पनियो ने—(लाभाश पर अस्थायी प्रतिबन्ध) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत लाभाश के रुप मे देय मुनाफे के वितरण पर प्रतिबन्ध लगा दिया है जिस का फल यह हुआ है कि शेयरो की कीमते गिर गई है और सामान्य शेयरो पर लाभाश की दरों में कमी हो गई है।"

मै आपकी इस विचारधारा से तनिक भी सहमत नही हू। सामान्य लाभाशो की दरो मे कमी होने के बाद भी शेयर बाजार मे कीमतो मे कोई गिरावट नही आई है।

उन्होने यह भी उल्लेख किया है—"बैंक की दरो मे वृद्धि होने और बैंक जमा और कम्पनी जमा पर ब्याज की दरो मे तेजी से वृद्धि होने से यूनिटो मे धन लगाने मे आकर्षण कम हो गया है"। मैं निवेदन करना चाहता हू कि जो बडे-बडे लोग है पूजी लगानेवाले लोग है वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर पजी लगाने के लिए आकर्षित हो कर यूनिट ट्रस्ट मे धन लगाने के लिये आकर्षित हो सकते है। कम्पनिया अपने लाभ के लिए ऐसा कर सकती है लेकिन जो साधारण इन्वेस्टर हैं छोटी छोटी पूजी लगाने वाले लोग है उनको चाहे 2 हजार रूपये की छूट मिले या 25 हजार की छूट मिले उस के लिये कोई आकर्षित होने का कारण नही है उस का उस प्रकार के प्रावधान मे कोई लाभ होने वाला नही है।

आप ने इस के अन्दर यह भी कहा है कि यूनिट ट्रस्ट की जो नकदी की स्थिति है उस को सुधारने मे इस कानून के द्वारा बड़ा भारी प्रयत्न होगा। मैं समझता हू कि इस से यूनिट ट्रस्ट की स्थिति नही सुधरेगी। आज भी यूनिट ट्रस्ट ने 425 कम्पनियो मे विभिन्न दरों पर अपनी

[श्री लक्ष्मीनारायण पांडेय]

पूंजी लगा रखी है और ट्रस्ट की स्थिति में सुधार इस लिये नहीं होगा कि ये कम्पनियां केवल यूनिट ट्रस्ट के पैसे पर नहीं चलती हैं। ये दूसरी फाइनेन्शल इंस्टीचूशन्ज से भी पैसा लेती हैं। केवल यूनिट ट्रस्ट पर निर्भर न रहने के कारण शेयर बाजार में भी इस नये प्रावधान से आप के अध्यादेश के द्वारा जो नयी घोषणा की गयी है उसका असर इन कम्पनियों पर पड़ने वाला नहीं है।

यूनिट ट्रस्ट की स्थिति आज क्या है? आप के पास 57.90 करोड़ रूपये के आर्डिनरी शेयर्स हैं 16.38 करोड़ रूपये के प्रिफरेंस शेयर्स हैं और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट है वह 24.59 करोड़ रूपये का है। अर्थात् कुल मिला कर 45 परसेन्ट के करीब आप के पास आर्डिनरी शेयर्स विद्यमान हैं अब उन की स्थिति क्या है? जो बिक्री हुई है लगातार लोगों ने अपने यूनिट्स वापस करने प्रारम्भ किये उस में आर्डिनरी शेयर्स पर कितना प्रभाव पड़ा? प्रिफरेंस शेयर्स पर कितना प्रभाव पड़ा? कुल मिला कर वर्त्तमान पूंजी की वित्तीय स्थिति क्या है? आप ने यद्यपि बार बार कहा है कि इस से हमारे यहां कोई गड़बड़ी होने वाली नहीं है और आप यह भी कहते है कि इस अध्यादेश के जरिये आप वित्तीय स्थिति सुधारने में सक्षम हो जायेंगे। ये दोनों बातें एक साथ कैसे संम्भव है?

अब इस सम्बन्ध में जो प्रावधान सरकार लाई है– मैं उन के बारे मे भी संक्षेप में बतलाना चाहता हूं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं। सरकार ने जिन कदमों को उठाने का प्रयास किया है जिस तरह से आप ने अध्यादेश जारी किये है– इन्कम टक्स एक्ट तथा दूसरे एक्ट्स में जिस प्रकार का परिवर्त्तन लाने का प्रयास किया है- उस से भी मैं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा परिवर्त्तन होनेवाला नहीं है क्योंकि विभिन्न कम्पनियां अपने अपने तरीकों पर इसका लाभ उठा लेंगी किन्तु ट्रस्ट को सीधा लाभ नहीं पहुंचेगा।

उपाध्यक्ष जी मंत्री महोदय ने जो अध्यादेश निकाला है—इस में 1882, 1957 तथा 1963 आदि की न्यास विधि सम्बन्धी कतिपय धाराओं के जगह नई धाराओं का उल्लेख किया गया है –धारा 39 ख– इस में कहा गया है कि उन के द्वारा जो अभिकर्त्ता या नामनिर्देशित व्यक्ति है उनके कार्य के बारे में कुछ उल्लेख है। साथ ही यूनिट धारकों को यह आश्वासन भी दिया गया है कि यूनिटों के अगेंस्ट किसी प्रकार की कोई कुड़की नहीं लाई जा सकेगी, कोई जमा रकम है तो उस के खिलाफ डिग्री नहीं ली जा सकती है। इस प्रकार का प्रावधान कर के यद्यपि आप ने इस बात को गारन्टी देने का कोशिश की है कि जो पैसा यूनिट ट्रस्ट के अधीन लगाया जायेगा वह सुरक्षित रहेगा उस पर ज्यादा लाभ प्राप्त किया जा सकेगा। लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि इन सब बातों से ज्यादा लाभ होने वाला नहीं है

इसी सम्बन्ध में मैं एक और समाचार की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं–यह समाचार इकानामिक टाइम्ज में निकला है––

"There are, however, some irksome factors which may offset the beneficial impact of the increase in agricultural and industrial production, though they may be of a short-term nature. The two-week old strike in West Bengal jute mills and the country wide strike of dock workers will affect both production and exports The power supply position in some of the States is still far from re-assuring. Speculation about a hurried midterm poll has created uncertainties about the budget being presented as usual at the end of next month. The tax concession given to Unit holders through a Presidential ordinance may prove helpful to the Unit Trust in that it can prvent re-purchases of units, and induce some fresh sales."

–आगे इसमें कहा गया है कि

It is doubtful indeed whether the tax Concessions would be of any real benefit to the unit holders.

इसमें उन्होंने जो सम्भावना प्रकट की है कि उसके अनुसार केवल री-सेल पर कुछ चेक लग सकता है। उन्होंने यह सम्भावना भी व्यक्त की है कि

इस से यूनिट ट्रस्ट को यह लाभ होगा कि जिस प्रकार से लोग वापस बेचना प्रारम्भ कर रहे थे, उस पर प्रतिबन्ध लगेगा इस से री-सेल बढ़ेगी-लेकिन मैं नही समझता हूं कि इस से किसी प्रकार की सेल बढ़ेगी। मैं जानना चाहूगा कि जुलाई से लेकर, जब से कि लाभाश पर प्रतिबन्ध प्रतिपादित किया है, तब से लेकर आज तक जो यूनिटस वापस रि-सेल हुए है—उन की संख्या कितनी है और इस अवधि मे कितने बिके है—यदि दोनो को आप सामने रखेंगे तो आप को पता चलेगा कि यूनिट ट्रस्ट की स्थिति क्या है?

इन सब बातो को ध्यान मे रखते हुए मै यही निवेदन करना चाहता हू कि आप इस प्रकार की कार्यवाही करे जिस से जनता मे विश्वास पैदा हो। यह फाइनेन्शल इस्टीचूशन है, अगर इस मे किसी प्रकार की विकृति आती है खराबी पैदा होती है और यह किसी प्रकार की क्राइसेज फेस करता है तो इससे यह सस्था बडी कठिनाई मे पड जायेगी और आप ने ऐसे क्राइसेज के आने की सम्भावना व्यक्त भी की है।

एक बात की ओर मैं माननीय मत्री जी का ध्यान इस समय विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हू। जैसा आप ने प्रारम्भ मे कहा था कि छोटे छोटे यूनिट धारक है उन को आप आश्वस्त करने का प्रयत्न करेंगे—मै जानना चाहता हू—क्या आप उन के डिविडेण्ड मे कोई वृद्धि करने जा रहे है या नही? बैंको मे आज ब्याज की सीमा बढी है। जो यूनिट परचेज करनेवाले लोग हैं यदि उनको बैंको मे ज्यादा ब्याज मिलेगा तो कोई भी साढे आठ प्रतिशत पर अपना पया यूनिटो में लगाना पसन्द नही करेगा। वह फिक्सड डिपाजिट मे बैंको मे 13 परसेंट पर देगा या लम्बी अवधि के लिए दूसरे बैंको मे जायेगा तो उसे 15 परसेंट भी मिल सकता है फिर आप के यहा यूनिटस मे पैसा लगाने का उसे क्या लाभ है। मैं चाहता हूं कि आप इस पर पुनर्विचार करे।

आप ने 2 हजार की जो छूट दी है-....

सभापति महोदय, अभी मुझे इस पर थोड़ा और बोलना है।

MR DEPUTY SPEAKER· The hon. Member may continue on Monday.

15.28 hrs

COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS
FIFTY-SECOND REPORT

MR DEPUTY SPEAKER We now take up the Private Members' Business There is a motion to be moved by Shri S P Bhattacharyya

SHRI S P BHATTACHARYYA (Uluberia) I beg to move

> 'That this House do agree with the Fifty-second Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 13th March, 1975."

MR DEPUTY SPEAKER The question is

> "That this House do agree with the Fifty-second Report of the Committee on Private Members Bills and Resolutions presented to the House on the 13th March, 1975"

The motion was adopted

15.29 hrs

RESOLUTION RE GROWTH OF FASCISM IN THE COUNTRY- contd.

MR DEPUTY SPEAKER We resume further discussion of the Resolution moved by Shri Shyamnandan Mishra He was on his legs On the last occasion, he had taken 45 minutes He should really conclude now.

SHRI SHYAMNANDAN MISHRA (Begusarai)· Unfortunately, it happen-